

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & Other matters)

Monday, 08th January, 2001/Poush 18, 1922 (Saka )

No.125

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following messages addressed to the Hon'ble Speaker Delhi Vidhan Sabha, Delhi were received from Dy. Commissioner of Police, South Distt., S.H.O. Subji Mandi, A.C.P. Shahdra and S.H.O. Pahar Ganj, Delhi respectively:-

" I have the Honour to inform<sup>you</sup> that S/Shri Subhash Chopra, Mukesh Sharma, Bheesam Sharma, Shish Pal, Arvinder Singh Lovely, Tarvinder Singh Marwah, Deep Chand Bandhu and Smt. Kiran Choudhry and Shri Rajesh Jain and Shri Naresh Gaur and Shri Mukesh Sharma, Shri Subhash Chopra and smt. Darshna Ram Kumar were detained u/s 65 of Delhi Police Act.1978 for disobeying the lawful directions of police at 1310 hrs., 1100 hrs., 1100 hrs., and 1300 hrs. on 5.1.2001, 5.1.2001, 6.1.2001., and 7.1.2001 respectively.

They were released at 1315 hrs., 1520 hrs., 1645 hrs and 1305 hrs. from the same place on same day i.e. 5.1.2001, 5.1.2001, 6.1.2001, and 7.1.2001 respectively."

S.K.SHARMA  
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
=====

समाचार भाग -2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

सोमवार, 08 जनवरी, शोष 18, 1922 § शक §

संख्या : 125

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को क्रमशः उपायुक्त पुलिस, दक्षिणा जिला, थाना अध्यक्ष सब्जी मण्डी, सहायक पुलिस उपायुक्त शाहदरा व थाना अध्यक्ष पहाड़ गंज का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्व श्री सुभाष चौपड़ा, मुकेश शर्मा, भीष्म शर्मा, चौ. शीश पाल, अरविन्दर सिंह लवली, तरविन्दर सिंह मारवाह, दीप चन्द बन्धु, श्रीमती किरन चौधरी व श्री राजेश जैन व नरेश गोड़ व सर्वश्री मुकेश शर्मा, सुभाष चौपड़ा व श्रीमती दर्शना राम कुमार को क्रमशः 05.01.2001, 05.01.2001, 06.01.2001, व 07.01.2001 को क्रमशः 1310 बजे, 1100 बजे, 1100 बजे, व 1300 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम, 1978 की धारा - 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया ।

उनको वहीं से उसी दिन क्रमशः 1315 बजे, 1500 बजे, 1645 बजे व 1305 रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा  
सचिव